



उत्तराखण्ड के मेधावी विद्यार्थियों के लिये विश्व स्तरीय निःशुल्क आवासीय शिक्षा के लिये सुनहरा अवसर

अकादमिक वर्ष 2023 में विद्याज्ञान की 12 वीं कक्षा के आठवें बैच ने सी.बी.एस.ई. बोर्ड की परीक्षा में अपना परचम लहराया। कुल 116 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी जिसमें से 75 विद्यार्थियों ने 90% से भी अधिक अंक प्राप्त किये।

कौन कहता है कि सपने सच नहीं होते ?

विद्याज्ञान स्कूल से नितान्त निःशुल्क, विश्वस्तरीय आवासीय शिक्षा प्राप्त कर सैकड़ों ग्रामीण मेधावी विद्यार्थी विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों जैसे आई.आई.टी, दिल्ली विश्वविद्यालय, एम्स (AIIMS) इत्यादि एवं अंतराष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जैसे स्टेनफोर्ड, कॉर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका इत्यादि में अध्ययनरत होकर अपने उज्ज्वल भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से अनेक विद्यार्थियों के सपने सच हो चुके हैं और अब वह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय कम्पनियों में या सरकारी पदों पर कार्यरत हैं।



“जब मैं पहली बार विद्याज्ञान आया था, तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था। विद्याज्ञान स्कूल ने मुझे ना केवल शिक्षा के पंख लगाए बल्कि सुनिश्चित किया कि मैं जिंदगी में तरकी की ऊँची उड़ान भर सकूँ और कामयाब हो सकूँ” - मनु



विद्याज्ञान क्यों बनाया गया ?

शिव नाडर फाउंडेशन की स्थापना 97,024 करोड़ रुपये की एच.सी.एल. कम्पनी के संस्थापक श्री शिव नाडर की असाधारण सामाजिक पहल है। शिव नाडर फाउंडेशन का यह मानना है कि शिक्षित समाज के माध्यम से ही खुशहाल, समृद्ध और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। हमारे देश के सुनहरे भविष्य के लिए, शहरों के साथ-साथ गाँवों का विकास होना भी जरूरी है। हमारे देश का भवी मार्गदर्शक ग्रामीण क्षेत्र से भी हो सकता है और सम्पूर्ण भारत की प्रगति तब ही सम्भव है, जब उत्तम शिक्षा के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण शिक्षा के स्तर में मौजूद खाई को पाटकर गाँवों में छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाया जाए। उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, वर्ष 2009 में शिव नाडर फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर विद्याज्ञान परियोजना की शुरुआत की है। सीतापुर एवं बुलन्दशहर जिलों में दो विद्याज्ञान स्कूलों की स्थापना की गई है जिनमें वर्तमान में 2000 से भी अधिक बालिकाएं एवं बालक अपने सपनों को साकार कर रहे हैं।

विद्याज्ञान से क्या मिलेगा ?

- ▶ विद्याज्ञान स्कूल मेधावी ग्रामीण विद्यार्थियों की प्रतिभा को तलाश कर उनको तराशने एवं संवारने और उनके सपने सच करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है।
- ▶ विद्याज्ञान में कक्ष 6 से कक्ष 12 तक की विश्वस्तरीय एवं उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा नितान्त निःशुल्क प्रदान की जाती है जिसमें शिक्षा, छात्रावास, भोजन, यूनीफॉर्म, पुस्तकें, कम्प्यूटर शिक्षा, खेल-कूद, संगीत शिक्षा, नेतृत्व विकास आदि की निःशुल्क सुविधा सम्मिलित हैं।



विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया

- 1 आवेदन पत्र शीघ्र ही शिक्षा विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों, विद्याज्ञान की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर अथवा उसकी छाया प्रति अथवा उपलब्ध मूल आवेदन की छाया प्रति पर भर कर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है। जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नियत परीक्षा केन्द्र तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र विवरण के माध्यम से प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग किया जा सकता है।
- 2 विद्याज्ञान प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिये आवेदन पत्र में आवेदक का नाम, माता एवं पिता का नाम, दादा का नाम, ग्राम, पोस्ट ऑफिस, विकास खण्ड, तहसील एवं जनपद का नाम, पिन कोड, जन्म तिथि, फोन का नम्बर (जिस पर दूरभाष एवं एस.एम.एस. आदि के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा सके), अध्ययनरत कक्षा एवं विद्यालय का नाम एवं पता, आयु एवं स्थायी निवास तथा अध्ययनरत कक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड सम्बन्धी विवरण विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु तैयार रखें। आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त आवश्यक अभिलेख संलग्न कर सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2023 से पूर्व जमा किया जाना है।
- 3 प्रवेश परीक्षा में उत्तर-पत्रक (OMR Sheet) आधारित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तरों में से एक सही उत्तर का चयन कर उत्तर देना है। प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा 2024-25 के परिणाम के आधार पर न्यूनतम अंकों के सर्वोच्च अंक प्राप्त श्रेष्ठ विद्यार्थियों (बालिका एवं बालक प्रथक-2) के मध्य विद्याज्ञान मुख्य परीक्षा का आयोजन होता है।
- 4 सम्पूर्ण मुख्य परीक्षा के न्यूनतम अंकों के सर्वोच्च अंक प्राप्त श्रेष्ठ मेधावी विद्यार्थियों (बालिका एवं बालक प्रथक-2) जिसमें न्यूनतम 40 प्रतिशत बालिकाओं होंगी, के भौतिक सत्यापन के उपरान्त, पारस्पारिक संवाद, मूल अकादमिक अभिलेखों के सत्यापन तथा विद्याज्ञान द्वारा विस्तृत विकित्सा परीक्षण के उपरान्त ही सफल अभ्यार्थियों को विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश प्राप्त होगा।

किसके लिए है विद्याज्ञान स्कूल ? प्रवेश हेतु पात्रता

- ▶ आवेदक उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, उथमसिंह नगर तथा चम्पावत जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी, हो।
- ▶ उत्तराखण्ड राज्य के उपरोक्त जनपदों के नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र हैं।
- ▶ आवेदक के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपया से कम हो एवं

कक्षा 6 में प्रवेश हेतु 31 मार्च 2024 को आयु	शैक्षिक पात्रता
बालक हेतु न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 11 वर्ष (जिनका जन्म 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2013 के मध्य हुआ हो) बालिका हेतु न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 12 वर्ष (जिनका जन्म 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2012 के मध्य हुआ हो)	उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, उथमसिंह नगर तथा चम्पावत जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय/मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 3 एवं 4 उत्तीर्ण कर कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी।

- ▶ आवेदक विद्यार्थी की पहचान हेतु फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- ▶ आवेदक विद्यार्थी को प्रारम्भिक परीक्षा हेतु केवल एक अवसर ही अनुमत्य होता है।
- ▶ आवेदन पत्र को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार विद्याज्ञान में निहित रहेगा।

जागो ! मेधावी विद्यार्थी के अभिभावक जागो !!

- ▶ यदि आपका होनहार, उपरोक्त पात्रता की श्रेणी में आता है, तो निःशुल्क प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा में अपने होनहार को आगामी विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा में निःशुल्क प्रतिभाग करा सकते हैं।
- ▶ किसी भी बहकावे में न आवें तथा किसी भी प्रकार के भ्रम के निवारण तथा मार्ग-दर्शन के लिये राजकीय अथवा राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के प्रधान अध्यापक/खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक/मुख्य शिक्षा अधिकारी अथवा विद्याज्ञान हेल्प लाइन टोल-फ्री नम्बर 1800-102-1784 की सहायता प्राप्त करें।
- ▶ यदि पात्र आवेदक का उपयुक्त वार्षिक आय एवं स्थायी निवास, आयु तथा शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड, उपलब्ध न हों तो अभी से प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण कर लें।

आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक खण्ड शिक्षा अधिकारी यजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के साथ-साथ विद्याज्ञान की वेबसाइट पर 10 सितम्बर 2023 से उपलब्ध रहेंगे।

भौतिक लिखित परीक्षा सम्बन्धी जानकारी के लिये विद्याज्ञान की वेबसाइट/टोल-फ्री हेल्प लाइन नम्बर 1800-102-1784 अथवा जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक/खण्ड शिक्षा अधिकारी/ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक के सम्पर्क में रहें।